

प्रेषक,

आयुक्त,  
ग्राम्य विकास,  
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

सहायक आयुक्त/आहरण वितरण अधिकारी,  
ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक- 866 / आर0एस0बी0वाई0- 01/2010-11 लखनऊ : दिनांक-22-अप्रैल, 2010

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या-2365/38-7-2010-8आर0एस0बी0वाई0/08 दिनांक 15.04.2010 द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 में प्रथम त्रैमास के व्यय हेतु धनराशि रू0 38,78,25,000/- की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उपरोक्त स्वीकृति के सापेक्ष रू0 23,21,36,136/- (रू0 तेइस करोड़ इक्कीस लाख छत्तीस हजार एक सौ छत्तीस मात्र) की धनराशि आपको निम्न विवरण के अनुसार आवंटित करते हुये उसे आहरित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्रमांक	मानक मद	आवंटित की जा रही धनराशि (रू0 में)	प्रगामी योग
1.	42 - अन्य व्यय	23,21,36,136	23,21,36,136
	योग	23,21,36,136	23,21,36,136

(रू0 तेइस करोड़ इक्कीस लाख छत्तीस हजार एक सौ छत्तीस मात्र)

आवंटित की जा रही धनराशि का व्यय उपरोक्त शासनादेश में दिये गये निर्देशानुसार किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अधीन लेखा शीर्षक "2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-आयोजनागत-103-सामान्य श्रम कल्याण-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0101-असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना ( के0 75% रा0 25% ) 42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा। अतः उक्त धनराशि का आहरण कर उसे योजना के अन्तर्गत गठित "उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य बीमा कल्याण समिति" के भारतीय स्टेट बैंक, जवाहर भवन, लखनऊ शाखा के खाता सं0 30622643817 में जमा कराने का कष्ट करें।




आयुक्त  
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

संख्या- 866/आर0एस0बी0वाई0- 01/2010-11 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 2- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, प्रथम उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 3- महालेखाकार, लेखा परीक्षा, प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 4- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 5- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
- 6- विशेष सचिव एवं स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
- 7- श्रमायुक्त, उ0प्र0 कानपुर।
- 8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/ वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-2
- 9- राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2
- 10- निदेशक, वित्त एवं सांख्यिकीय निदेशालय/अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
- 11- नियोजन अनुभाग-3/ ग्राम्य विकास अनुभाग-3
- 12- सहायक आयुक्त (रा0स्वा0बी0यो0) ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
- 13- अधीक्षक, बिल अनुभाग, (स्था0-4)/कैशियर, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
- 14- गार्ड फाइल।

  
(महेश कुमार अमिन्होत्री)  
अपर आयुक्त (लेखा)  
ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।